भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1878

उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026 (बुधवार)

22 माघ, 1947 (शक)

प्रश्न

एनईएसआईडीएस के अंतर्गत निधि

†1878.श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 दिसंबर 2025 तक उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना (एनईएसआईडीएस) की सभी चालू परियोजनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार बकाया राशि कितनी है;

(ख) उन चिन्हित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दो वर्ष से अधिक समय पहले स्वीकृति प्राप्त करने के बावजूद अभी तक खर्च नहीं हुआ है;

(ग) मूल पूर्णता अवधि से आगे विलंबित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) परियोजना के प्रारंभ से लेकर अब तक के क्षेत्रवार आवंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (नेसिड्स) को वर्ष 2017-18 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तौर पर स्वीकृति दी गई थी और वर्ष 2022-23 में इसे दो घटकों यानी नेसिड्स (सड़कें) और नेसिड्स (सड़क अवसंरचना के अतिरिक्त) में पुनर्गठित किया गया। दिनांक 31.12.2025 तक नेसिड्स के तहत मंज़ूर परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और क्षेत्र-वार बकाया राशि संलग्न है।

दिनांक 31.12.2025 तक, नेसिड्स (सड़कें) के तहत 3 परियोजनाओं और नेसिड्स (ओटीआरआई) के तहत 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें 2 वर्ष से भी पहले से स्वीकृत किया गया था, जहां स्वीकृति लागत का 50% से अधिक लागत अव्ययित है।

नेसिड्स के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को लागू करने का समय भौगोलिक अवस्थिति, इलाका, भूमि की उपलब्धता, अनिवार्य कानूनी मंज़ूरियां, रुकावटों को हटाना, वित्तीय बंदी आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

नेसिड्स (सड़क) के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों को उन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए विशेष गैप-फंडिंग दी जाती है जो भारत सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत कवर नहीं हो रहे हैं। नेसिड्स (ओटीआरआई) के तहत, प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट निपटान, औद्योगिक विकास, नागर विमानन, खेल, दूरसंचार आदि के लिए अवसंरचना बनाने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर विचार किया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में परियोजनाओं का चयन पूर्वोत्तर क्षेत्र की संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकता के अनुसार करती हैं।

नेसिड्स के तहत, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के लिए मानक परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह परिव्यय क्षेत्र, आबादी, मानव विकास सूचकांक, सड़कों की डेंसिटी (प्रत्येक 1000 वर्ग किमी), विद्युत युक्त गांवों की गणना का प्रतिशत, प्रत्येक 1000 लोगों पर हॉस्पिटल बेड (एलोपैथी) की संख्या और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध घरों का प्रतिशत जैसे पैरामीटरों पर आधारित है।

अनुबंध

"एनईएसआईडीएस के तहत निधि" विषय पर लोक सभा में दिनांक 11 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1878 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सभी चल रही नेसिड्स परियोजनाओं के लिए राज्य-वार बकाया शेष

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	चालू देनदारी (स्वीकार्य केंद्रीय शेयर के अनुसार) (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	25	395.37
2	असम	35	1012.87
3	मणिपुर	25	441.38
4	मेघालय	13	258.05
5	मिजोरम	24	275.81
6	नागालैंड	20	406.09
7	सिक्किम	7	107.90
8	त्रिपुरा	18	308.71
कुल		**167**	**3206.18**

सभी चल रही नेसिड्स परियोजनाओं के लिए क्षेत्र-वार बकाया शेष

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	चालू देनदारी (स्वीकार्य केंद्रीय शेयर के अनुसार) (करोड़ रुपये में)
1	नागर विमानन	1	12.00
2	डिजिटल कनेक्टिविटी	2	49.79
3	शिक्षा	35	774.55
4	स्वास्थ्य	36	317.87
5	विद्युत	10	211.88
6	सड़कें और पुल	53	1402.11
7	खेल	4	118.98
8	पर्यटन और संस्कृति	4	95.91
9	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1	49.19
10	जलापूर्ति	21	173.90
कुल		**167**	**3206.18**